भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 116

उत्तर देने की तारीख 08 दिसंबर, 2025

सोमवार, 17 अग्रहायण, 1947 (शक)

शिक्षा और उद्यमिता के साथ कौशल प्रशिक्षण का एकीकरण

***116. श्री पी. पी. चौधरी: श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:**

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कंधमाल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर के कई माध्यमिक विद्यालयों में योग्य प्रशिक्षकों, कार्यशालाओं और कौशल प्रयोगशालाओं की कमी और सीमित सुविधाओं के बावजूद सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अधिदेश के अनुसार कक्षा छह से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित कर रही है;

(ख) सरकार द्वारा यह गारंटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पावधि कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित 'क्रेडिट्स' को विशेषकर देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश में 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी)' के माध्यम से औपचारिक डिग्री कार्यक्रमों के लिए पूरी मान्यता दी जाए, मैप किया जाए और औपचारिक डिग्री कार्यक्रमों में हस्तांतरणीय बनाया जाए;

(ग) क्या प्रधान मंत्री युवा योजना (पीएम-युवा) को पुनर्गठित किया जा रहा है ताकि प्रशिक्षित युवाओं और “इनक्यूबेशन', 'सीड फंडिंग' और 'मेंटरशिप' जैसे स्टार्टअप-सहायता तंत्रों के बीच और सुदृढ़ संपर्क प्रदान किए जा सकें और ऐसे संपर्क की प्रभावकारिता की निगरानी किस प्रकार की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) राजस्थान में विशेषकर पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्टार्टअप सहायता प्राप्त हुई है;

(ड.) सरकार विशेषकर देवास-शाजापुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में समावेशी विकास के लिए महिलाओं और ग्रामीण युवाओं में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने और उद्यमिता के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना का किस प्रकार उपयोग कर रही है; और

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख कौशल योजनाओं के लिए वर्तमान बजट में कितना आबंटन और व्यय किया गया है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

'शिक्षा और उद्यमिता के साथ कौशल प्रशिक्षण का एकीकरण' के संबंध में दिनांक 08.12.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *116 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रमों को चरणबद्ध तरीके से मुख्यधारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने पर ज़ोर देती है। राष्ट्रीय क्रेडिट ढाँचा (एनसीआरएफ) एक व्यापक क्रेडिट संचयन एवं हस्तांतरण ढाँचे के रूप में तैयार किया गया है जिसमें प्रारंभिक, स्कूली, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण शामिल हैं। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढाँचा (एनसीएफ-एसई) स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को सक्षम बनाता है ताकि छात्र अपनी इच्छानुसार स्कूल के बाद कार्यबल में शामिल हो सकें।

व्यावसायिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीओएसईएल) की केंद्र प्रायोजित 'समग्र शिक्षा' योजना के घटकों में से एक है। व्यावसायिक शिक्षा घटक के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एनएसक्यूएफ़ से संबद्ध व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। माध्यमिक स्तर (कक्षा 9वीं और 10वीं) पर, छात्रों को व्यावसायिक मॉड्यूल एक अतिरिक्त विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर (कक्षा 11वीं और 12वीं) पर, व्यावसायिक पाठ्यक्रम एक अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अब तक, कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में कौशल विषयों के रूप में शुरू करने के लिए 138 जॉब रोल्स को मंजूरी दी जा चुकी है।

देश में औपचारिक शिक्षा के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने के लिए कुल 36,465 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 25,140 स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण लागू किया गया है और 35,56,330 छात्रों का नामांकन हुआ है। कंधमाल लोक सभा क्षेत्र में, कुल 61 स्कूल समग्र शिक्षा और पीएम श्री योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक कौशल पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। इस योजना के तहत, हब और स्पोक मॉडल को अपनाया गया है ताकि हब स्कूलों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग आस-पास के स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा कौशल प्रशिक्षण के लिए किया जा सके। हब और स्पोक मॉडल के तहत, देश भर में 975 स्पोक स्कूलों को मंजूरी दी गई है।

स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 400 जवाहर नवोदय विद्यालयों (जेएनवी) और 200 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं।

(ख): एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट के सुरक्षित भंडारण, संचयन, अंतरण और रेडेम्पशन की सुविधा प्रदान करता है। एबीसी एक डिजिटल रिपॉजिटरी के रूप में कार्य करता है जहाँ छात्रों द्वारा अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट सुरक्षित रूप से संग्रहित और आसानी से सुलभ होते हैं। एबीसी कौशल, ज्ञान और सीखने के अनुभवों को एक एकीकृत क्रेडिट-आधारित ढाँचे में निर्बाध रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है, जिससे छात्रों को अपनी शैक्षणिक अवधि को पूरा करने में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पकालिक कौशल कार्यक्रमों के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को पूरी तरह से मान्यता दी जाए, मैप किया जाए और मध्य प्रदेश तथा इसके देवास, सीहोर और शाजापुर जिलों सहित अखिल भारतीय स्तर पर औपचारिक डिग्री कार्यक्रमों में अंतरित किया जाए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

(i) राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को यूजीसी द्वारा 10 अप्रैल 2023 को अधिसूचित किया गया था, जो मूल्यांकन के अधीन, सभी शिक्षण और संचय, भंडारण, अंतरण और क्रेडिट रेडेम्पशन के क्रेडिटीकरण का प्रावधान करता है; व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच शैक्षणिक समतुल्यता स्थापित करता है और अकादमिक क्रेडिट बैंक (एबीसी) के माध्यम से इसका संचालन करता है। एनसीआरएफ को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण इकोसिस्टम में कार्यान्वयन के लिए एनसीवीईटी (कौशलीकरण नियामक) द्वारा दिनांक 12 मई 2023 को अपनाया गया था।

(ii) उच्चत्तर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल (वीईटीएस) और स्कूली शिक्षा में एनसीआरएफ के संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को यूजीसी द्वारा दिनांक 07 अगस्त 2024 को अधिसूचित किया गया था।

(iii) उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा में कौशल आधारित पाठ्यक्रम/व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल आधारित योग्यता के विकास, संरेखण और कार्यान्वयन के लिए एसओपी को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा दिनांक 30 मई 2024 को अधिसूचित किया गया था।

(iv) एनसीवीईटी ने सभी आवर्डिंग बॉडीज (एबी) को निर्देश जारी किए हैं कि वे राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के माध्यम से एबीसी पर पंजीकरण कराएं, अभ्यर्थियों को जागरूक करें, प्रदान किए गए प्रमाण पत्र अपलोड करें, आदि।

(ग) और (घ): अभी तक, प्रधानमंत्री युवा योजना (पीएम-युवा) के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिसे उद्यमशीलता शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श और उद्यमशीलता नेटवर्क तक आसान पहुंच के माध्यम से एक सक्षम इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एमएसडीई द्वारा पायलट आधार पर (दो बार) लागू किया गया था।

पीएम-युवा 1.0 पायलट योजना का उद्देश्य उद्यमशीलता और सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए निःशुल्क उद्यमशीलता शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना उच्च शिक्षा प्राप्त छात्रों पर केंद्रित थी और अप्रैल 2017 से मई 2018 तक केवल उच्चत्तर शिक्षा संस्थानों (एचईएल) में ही लागू की गई थी।

पीएम-युवा 2.0 पायलट योजना नवंबर 2019 से मार्च 2022 तक लागू की गई थी। उद्यमशीलता प्रशिक्षण का वितरण नेटवर्क एचईएल से बदलकर कौशलीकरण होग गया, जिसमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (पीएमकेकेएस) और जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) शामिल हैं।

एमएसडीई अपने स्वायत्त संस्थानों, यानी राष्ट्रीय उद्यमशीलता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से देश भर में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उद्यमशीलता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित करता है।

युवाओं को व्यवसायिक उद्यम या स्टार्टअप स्थापित करने के लिए ऋण/कर्ज उपलब्ध कराने हेतु सरकार राजस्थान तथा इसके पाली और जोधपुर जिलों सहित अखिल भारतीय स्तर पर स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, पीएम विश्वकर्मा आदि जैसी विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित करती है।

(i) दिनांक 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना, 18 चिन्हित ट्रेड में लगे पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, ज़मानत-मुक्त ऋण, आधुनिक उपकरण, बाज़ार संपर्क सहायता और डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन के माध्यम से संपूर्ण सहायता प्रदान करती है। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत, राजस्थान राज्य में 494.34 करोड़ रुपये की राशि के 55,606 ऋण खाते स्वीकृत किए गए।

(ii) अक्टूबर 2022 में शुरू की गई स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) का उद्देश्य स्टार्टअप्स के लिए शुरुआती चरण की ऋण आवश्यकताओं को आसान बनाना है। सीजीएसएस का उद्देश्य स्टार्टअप वित्तपोषण के लिए सदस्य संस्थानों द्वारा दिए गए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर एक निर्दिष्ट सीमा तक गारंटी प्रदान करना है। सीजीएसएस के तहत, राजस्थान राज्य में जून 2025 तक 09 ऋण खातों और 32.30 करोड़ रुपये की राशि को गारंटी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(iii) दिनांक 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। यह ऑनलाइन पोर्टल भावी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को व्यावसायिक उद्यम स्थापित करने के उनके प्रयासों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। स्टैंड-अप इंडिया के तहत, राजस्थान राज्य में मार्च 2025 तक 3486.56 करोड़ रुपये की राशि के 15,142 ऋण खाते स्वीकृत किए गए हैं।

(iv) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) दिनांक 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी ताकि छोटे व्यवसाय के लिए व्यवसाय योजना वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी ज़मानत के संस्थागत ऋण उपलब्ध कराया जा सके। इस योजना और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों के तहत व्यक्ति 20 लाख रुपये तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। पीएमएमवाई के तहत, विनिर्माण, व्यापार, सेवा आदि में आय सृजन गतिविधियों के लिए 20 लाख रुपये तक के सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं।

(ड़) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना के अंतर्गत, एमएसडीई गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से 15-45 वर्ष की आयु के गैर/नव साक्षरों, 8वीं कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों और 12वीं कक्षा तक स्कूल छोड़ने वाले व्यक्तियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करता है। इस योजना का फोकस ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य वंचित वर्गों पर है। वर्तमान में, देश भर में 293 जेएसएस कार्यरत हैं। 2018-19 से 31 अक्टूबर 2025 तक, देश भर में कुल 32,53,965 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में 3,51,410 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है; और देवास, सीहोर

और शाजापुर जिलों में 38,055 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। जेएसएस के अंतर्गत, उद्यमिता और आजीविका संवर्धन के लिए उम्मीदवारों को उन्मुख करने हेतु आजीविका प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है।

(च) एमएसडीई की प्रमुख योजनाओं के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन और किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है:

आंकड़े करोड़ रु में

	2022-23		2023-24		2024-25	
	बीई/आरई	वास्तविक व्यय	बअ/संअ	वास्तविक व्यय	बीई/आरई	वास्तविक व्यय
पीएमकेवीवाई	739.26	233.26	920.00	510.52	1538.00	1538.00
एनएपीएस	170.00	335.50	557.04	632.82	512.24	586.23
जेएसएस	200.00	155.68	163.33	157.25	180.00	144.47

*****